

27/01/25 पत्रावली काज पेश हुई।  
 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के वकील क्रमवित्त।  
 मूल कांड का नित्सारण हो चुका है।  
 मूल कांड का नित्सारण होने से प्रार्थी  
 पत्र जिला से ल्याये जाने का कोई  
 कोषित्य नहीं है।

नितः मूल कांड के साथ-साथ प्रार्थीना  
 पत्र इसी त्तर पर खरीज किया जाता है।  
 पत्रावली में मूल मुकाम होकर दाखिल  
 दफ्तर हो एका नम्बर से कर है।



सहायक कलक्टर  
 (S.D.O) चौहान

